हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड

बनाम

केरल राज्य

(सिविल अपील सं 6469-6470/2002)

29 अप्रैल, 2008

[अशोक भान और दलवीर भण्डारी, न्यायाधीशगण]

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963-प्रविष्टि 104-सैटिलन/टुफ्लॉन लेपित भोजन पकाने के बर्तन निर्धारित प्रविष्टि 104 के तहत वर्गीकृत और प्रविष्टि 5 के तहत नहीं-ऐसे उत्पादों को सामान्य एल्यूमीनियम घरेलू बर्तनों के रूप में नहीं माना जा सकता है-सैटिलॉन/टुफ्लॉन कोटिंग उत्पादों को नॉन-स्टिकी बनाती है। इसलिए प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आने वाले एल्यूमीनियम के घरेलू बर्तनों से अलग होती है। 1999 में प्रविष्टि 104 में किये गये संशोधन जिसके द्वारा 'नॉन-स्टिक' शब्द खाना पकाने के बर्तन जोड़े गए थे जो प्रकृति में केवल स्पष्टीकरणात्मक था।

इन अपीलों में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या सैटिलन लेपित खाना पकाने के बर्तन और टफलॉन से लेपित उत्पाद केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 में वर्गीकृत बर्तन से बने एल्यूमीनियम के घरेलू बर्तन के रूप में या क्या ये उत्पाद प्रविष्टि 104 के अंतर्गत आते हैं जो प्रेशर कुकर, खाना पकाने, परोसने और रखने के लिए बर्तन गर्म भोजन, पकाने के बर्तन, पानी के फिल्टर और इसी तरह के घर उपकरण जो किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं से संबंधित है।

मूल्यांकन प्राधिकरण ने उत्पाद को निम्नानुसार प्रविष्टि 5 में वर्गीकृत किया। अपीलीय प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि सैटिलन कोटिंग ने सामान को नॉन स्टिक बना दिया, यह इसे एल्यूमीनियम से बने घरेलू एल्यूमीनियम बर्तनों जो पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आता है से अलग बना देगा। ट्रिब्यूनल ने उचित ठहराया। उच्च न्यायालय ने माना कि उत्पादों को अधिनियम की प्रविष्टि 104 के तहत समान घरेलू उपकरण शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और वर्ष 1999 में प्रविष्टि 104 में केवल "नॉन-स्टिक कुकवेयर" शब्द जोड़ा गया था जो कि प्रकृति में सिर्फ स्पष्टीकरणात्मक है। इसलिए ये अपीलें दायर की जाती है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि-

1.1 ट्रिब्युनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और साथ ही उच्च न्यायालय ने भी कहा कि "सैटिलन लेपित एल्यूमीनियम उत्पाद" एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं से बने एल्यूमीनियम के घरेलू बर्तनों के समान नहीं हैं" सही है। सैटिलन की परत उत्पाद में सभी अंतर लाती है। ट्रिब्युनल ने उचित रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया कि व्यापार की भाषा में, कोई भी सैटिलन लेपित एल्यूमीनियम उत्पाद का वर्णन एल्यूमीनियम घरेलू बर्तनों के रूप में नही करेगा। [पैरा 5] [80-एफ]

1.2. सैटिलन लेपित भोजन पकाने के बर्तन को सामान्य एल्यूमीनियम घरेलू बर्तनों के रूप में नहीं माना जा सकता है। सैटिलन लेपित बर्तनों की कीमत एल्यूमीनियम और उसके मिश्र धातुओं से बने घरेलू बर्तनों से बहुत अधिक होती है। निर्धारिती द्वारा बेचे गए हॉकिन्स कुकवेयर एल्यूमीनियम से बने घरेलू बर्तनों के रूप में वर्गीकृत नहीं हो सकते हैं क्योकि कोटिंग उत्पादों को नॉन -स्टिकी बनाती है इसलिए यह एल्यूमिनीयम से बने घरेलू बर्तनों से अलग होती है। आम बोलचाल में, हॉकिन्स के खाना पकाने के सैटिलन कोटिंग वाले बर्तनों को एल्यूमीनियम के बर्तन के रूप में नहीं

समझा जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि पहली अनुसूची की प्रविष्टि में किया गया संशोधन की प्रकृति भी स्पष्टीकरणात्मक है सही है। [पैरा 6] [80-एच; 81-ए-बी]

गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य **(1989) 3 एससी.सी 127;** मेटलेक्स (आई) (पी) लिमिटेड बनाम आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली **(2005) 1 एससीसी 271;** आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन बनाम अपोलो टायर्स लिमिटेड **(2005) 11 एससीसी 444 सुभिन्न**।।

2. टफलॉन की परत भी वस्तु को नॉन -स्टिकी बनाती है। [पैरा 10] [81-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 6469-6470/2002।

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के टीआरसी सं. 562-563/2001 में निर्णय और आदेश दिनांकित 18.12.2001 से।

साथ

सिविल अपील सं. 2004 की 7169 और 2008 की 1203

टी.एल.वी. एयर, गोपाल जैन, कौशिक मिश्रा, बिंदु के. नायर, सारिका सिंह, रूबी सिंह आहूजा, के.आर. शशिप्रभु, कृष्ण वेनुगोपाल के, वरगीस, बीना प्रकाश, सिद्धार्थ, नरेश कुमार, जी प्रकाश वरूण सरीन (रमेश बाबू एम.आर के लिए) प्रस्तुत होने वाले पक्षकार

न्यायालय का निर्णय **न्याया धीश भान** इनके द्वारा दिया गया था।

1. यह आदेश द्वारा सिविल अपील संख्या 6469-6470/2002, 7169/2004 और 2008/1203 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. इन अपील में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला विवाद्यक यह है कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा बेचा गया सैटिलन ब्रांड का भोजन पकाने का बर्तन एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना एल्यूमीनियम का बर्तन है जो कि पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5, केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत वर्गीकृत है या क्या उक्त उत्पाद प्रविष्टि 104 जो "प्रेशर कुकर, खाना पकाने और परोसने" भोजन को गर्म रखने के लिए बर्तन, पानी के फिल्टर और इसी तरह के अन्य सामान, घरेलू उपकरण जो किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत आएगा।

3. मूल रूप से प्राधिकरण अर्थात सहायक आयुक्त (आकलन III), एर्नाकुलम ने प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के मामले को स्वीकार किया और कहा कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित हाकिन्स सैटिलन लेपित बर्तन अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के तहत वर्गीकृत है। वाणिज्यिक करों के उपायुक्त ने अपनी पुनरीक्षण की स्वतः संज्ञान शक्तियों को उपयोग करते हुए आंकलन को संशोधित करने की मांग की है। अधिनियम की धारा 35 के तहत 10.9.1999 दिनांकित एक नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब दिया।

उपायुक्त ने दिनांक 25.9.1999 के आदेश द्वारा पहले आकलन को अपास्त करते हुए मामले को नए सिरे से निपटाने के प्रतिप्रेषित किया। उपायुक्त ने माना कि सैटिलन कोटिंग उत्पादों को नॉन स्टिक बनाता है। यह इसे एल्यूमीनियम से बने एल्यूमीनियम घरेलू बर्तनों से अलग बना देता है, जो प्रविष्टि 5 पहली अनुसूची के तहत आते है। उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध अपील दायर की बिक्री कर अपीलीय ट्रिबयुनल, एर्नाकुलम (संक्षेप में "ट्रिब्युनल") के समक्ष दायर की।

ट्रिब्युनल ने अपने दिनांकित 18.4.2001 के आदेश से उपायुक्त के आदेश को उचित ठहराया।

4. ट्रिब्युनल के आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने कर पुनरीक्षण याचिका केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जिसका विवादित आदेश द्वारा निस्तारण किया गया। एक संक्षिप्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने ट्रिब्युनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत होते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

अपीलार्थियों द्वारा निर्मित उत्पाद अधिनियम की प्रविष्टि 104 के तहत घरेलू उपकरण के तहत वर्गीकृत है। यह भी निर्धारित किया कि वर्ष 1999 में प्रविष्टि 104 में किया गया संशोधन जिसके द्वारा "नॉन-स्टिक कुकवेयर" शब्द जोड़ा गया था, जो केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है। अपीलार्थी का मामला यह है कि उक्त संशोधन दिनांकित 01.04.1999 से पहले अपीलार्थी के उत्पाद स्पष्ट रूप से प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आता था और प्रविष्टि 104 के अंतर्गत नहीं आता था।

5. हम ट्रिब्युनल और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि सेटिलन लेपित एल्यूमीनियम उत्पाद एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियत मिश्र धातुओं से बने एल्यूमीनियम के घरेलू बर्तनों के समान नहीं हैं। ट्रिब्युलन ने आगे यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि व्यापार की भाषा में, कोई भी सेटिलन लेपित एल्यूमीनियम उत्पादों का वर्णन एल्यूमीनियम से बने घरेलू बर्तनों से नही करेगा।

6. हम निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत तर्क से सहमत नहीं हैं कि धातु उत्पाद की सतह पर सैटिलन की परत उसकी प्रकृति मे उत्पाद की उपयोगिता में कोई बदलाव नही लाते। कल्पना के किसी भी विस्तार से सेटिलन लेपित बर्तनों को साधारण एलुमिनि से बने घरेलू बर्तनों के रूप में नही माना जा सकता है। सैटिलन लेपित खाना पकाने के बर्तन की कीमत एल्यूमीनियम और उसके मिश्र धातू से बने एल्यूमीनियम के घरेलू

बर्तनों बहुत अधिक होती है। निर्धारिती द्वारा बेचे गए हॉकिन्स कुकवेयर को एल्यूमीनियम से बने घरेलू बर्तनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि सैटिलन कोटिंग उत्पाद को नॉन स्टिक बनाती है और इसलिए यह एल्यूमीनियम से बने घरेलू बर्तनों से अलग होती है। आम बोलचाल में, सैटिलन कोटिंग से बने हॉकिन्स भोजन बनाने के बर्तनों को एल्यूमीनियम के बर्तनो के रूप में नहीं समझा जाता है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से भी सहमत है कि प्रविष्टि 104 पहली अनुसूची में किए गए संशोधन की प्रकृति स्पष्टीकरणात्मक है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निम्न तीन निर्णयों का हवाला दिया है।

(i) गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, 1989 (3) एससीसी 127

(ii) मेटलेक्स (आई) (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय आयुक्त आबकारी, नई दिल्ली, 2005 (1) एस. सी. सी. 271

(iii) केंद्रीय आबकारी आयुक्त, कोचीन बनाम अपोलो टायर्स लिमिटेड, 2005 (11) एससीसी 444

8. ये सभी निर्णय तथ्यों के आधार पर सुभिन्न हैं और वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं रखते है। हमने इस विवाद्यक को इसके अपने तथ्यों पर तय किया है। इन परिस्थितियों में, हम बिना अपीलकर्ताओं की याचिका को उक्त मामले के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना खारिज करते है

9. ऊपर बताए गए कारणों की वजह से अपीलों को खारिज किया जाता है।

10. इस मामले में उत्पाद में यह अन्तर है कि उत्पादों को सेटिलन के बजाय टफलॉन से लेपित किया गया है। टफलॉन की परत भी वस्तु को नॉन स्टिक बनाती है।। उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान वकील, जो निर्धारिती की ओर से पेश हुए थे, ने

स्वीकार किया कि हस्तगत मामले का विवाद केरल उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय डब्लयू.ए.सं. 1405/2004 दिनांक 04.08.2004 द्वारा किया जा चुका है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज 2002 की सिविल अपील संख्या 6469-70 में उचित ठहराया गया है।

11. चूंकि हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल अपील सं. 6469-70/2002 में उचित ठहराया है, हमें इस अपील को खारिज करने में भी कोई हिचकिचाहट नही है। उच्च न्यायालय और ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराया जाता है और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है। बिना किसी लागत के याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सरिता चौधरी (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।